8-2-06

(2)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आयुक्त एवं सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै० स० प्र० सं० 822
दिनांक 6.2.06

:: संकल्प ::

विषय:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमींदारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण के संबंध में ।

बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है । कृषि की उन्नति से राज्य समृद्ध एवं खुशहाल हो सकता है । कृषि के लिये जल संसाधनों का सृजन एवं संरक्षण अतिआवश्यक है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दिनांक- 24-1-06 को विभागीय संलेख ज्ञापांक- 39 (रा०) दिनांक- 23-1-06 में दिये गये प्रस्ताव को मद संख्या-25 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जाय ।

2:- मंत्रिमंडल के उक्त निर्णय के आलोक में राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों को जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है ।

3:- जल संसाधन विभाग द्वारा जमीन्दारी बांधों का अपने विशिष्ट तकनीकी अनुभव एवं बजटीय उपबंध के तहत रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य किया जायेगा । इससे बाढ़ एवं सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिल सकेगा । साथ ही साथ इन जमीन्दारी बांधों के जीर्णोद्धार होने से राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि तो होगी ही साथ ही कृषि उत्पादकता पर भी इसका साकारात्मक प्रभाव होगा ।

4:- जल संसाधन विभाग सिंचाई श्रोतों को विकसित कर आम किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगा । किसानों को दी जाने वाली यह सुविधा निःशुल्क रहेगा ।

5:- इस परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा ।

6:- राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों, जिसकी पूर्ण सूची (खाता, खेसरा एवं रकबा सहित) सभी संबंधित समाहर्त्ता जल संसाधन विभाग को एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेगा ।

04 FEB 2006

243
8/2/06

7:- जमीन्दारी बांधों का स्वामित्व पूर्ववत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही रहेगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्षों/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारियों/ सभी अपर समाहर्ताओं/ सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/ सभी भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं तथा सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
§ जी0 एस0 दत्त §
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

ज्ञापांक: 9/सै जमीन्दारी बांध- 05/06 ——— रा0,पटना-15,दि-

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ एवं उसकी कम से कम एक हजार प्रतियां राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

ह0/-
§ जी0 एस0 दत्त §
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- 9/सै-जमीन्दारी बांध- 05/06 949 रा0,पटना-15, दि- 2-2-06

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.2.06
§ जी0 एस0 दत्त §
आयुक्त एवं सचिव ।